

BIHAR STATE HOUSING BOARD
(Government of Bihar Undertaking)
6, SARDAR PATEL MARG, PATNA – 800015,



Landline: 0612 – 2217618, 0612 - 2217617
Email Id: it@bshb.in

Ref No

E- auction Advertisement No. 03/2023

Date...10/02/2023

Important Notice for Bidder regarding E-Auction
(Through e-Procurement mode over <http://www.eproc2.bihar.gov.in>)

Bihar State Housing Board (BSHB) is a statutory authority regulated by Bihar State Housing Board act 1982 under the aegis of Urban Development and Housing Department, Government of Bihar. BSHB is mandated with the development of various housing schemes & related infrastructural facilities in the State.

BSHB has decided to dispose its commercial and residential-cum-commercial plots via E-Auction Method. Therefore, E-Auction is being introduced in “Bihar State Housing Board” for making the auction process more efficient and transparent in association with BELTRON, Bihar. The following are details regarding e-auction:-

Sl No.	Information	Details
1	Name of the Assignment	Disposal of residential cum commercial plot situated at Bahadurpur & Commercial plot at Hanumannagar, Patna through online auction mode.
2	E- auction Processing Fee/Cost (Non-Refundable)	INR 3540/- (Inclusive of GST) Payable online through e-payment mode i.e. NEFT/RTGS/Credit Card on following website: http://www.eproc2.bihar.gov.in
3	E- auction Fee/Cost (Non – Refundable)	Rs 2000/-
4	Date of Issue of Notice Inviting E- auction	From date of Publication
5	Date of Training	15-02-2023
6	Period of submission of necessary documents.	22-02-2023 to 20.03.2023 (3:00 PM)
7	Date of scrutiny of documents submitted by registered applicants.	20-03-2023 (4:00 PM)
8	E- auction schedule	As per Column Number 13 & 14 of Table 2
9	Contact person for queries	Sri Nripendra Kumar , Mob.No. - 8709367374

1. Detailed descriptions of the item and instruction for submitting offer can be downloaded from e-tender website (<http://www.eproc2.bihar.gov.in>).
2. For support related to e-tendering process, bidders may contact at “eproc 2.0 Help Desk Address : mjunction services limited RJ Complex, 2nd Floor, Canara Bank Campus, Khajpura, Ashiyana Road, P.S. - Shastrinagar, Patna – 800014, Bihar. Toll Free Number : 1800 572 6571 or <http://www.eproc2.bihar.gov.in>
3. Bidder should be registered on e-Procurement Portal (<http://www.eproc2.bihar.gov.in>) and have the Class III Digital Signature Certificate (DSC) with signing + Encryption and User-id of the e-Procurement website (<http://www.eproc2.bihar.gov.in>) before participating in the e-Tendering process.
4. The Managing Director, Bihar State Housing Board reserves the right to reject or cancel the tender or any part thereof without assigning any reasons.
5. Corrigendum/Addendum, if any, will be published on the website of the Board www.bshb.bihar.gov.in and e-Procurement, Bihar (<http://www.eproc2.bihar.gov.in>)

(2) Auction Details :

Sr. No.	Location (Sector/Phase Wise)	Type of Property	Property No. (Auction Sub Item)	Area (Sq.ft.)	Proposed Base Price in Rs.	Width of Road	Bid Security Deposit in Rs (Earnest Money Deposit) Only, NEFT/RTGS Mode)	Application Fee in Rs (Auction Form Fee)	Total Amount Payable through Online/ Offline before E-Auction (8+9) in RS.	Auction Processing Fee (To be paid only online on http://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON) in Rs	Minimum Bid Increment Value in Rs.	E-Auction schedule (Proposed)	
												Start	End
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Bahadurpur, Patna	RC	RCC/41	2003.76 (Sq.ft.)	95,01,300/-	60'00"	10,00,000/-	2000.00	10,02,000.00	Rs 3540/-	2 % of base price	27-03-2023 11:00AM	27-03-2023 01:00PM
2	Bahadurpur Patna	RC	RCC/39	2003.76 (Sq.ft.)	95,01,300/-	60'00"	10,00,000/-	2000.00	10,02,000.00	Rs 3540/-	2 % of base price	27-03-2023 02:00PM	27-03-2023 04:00PM
3	Bahadurpur Patna	RC	RCF/58	1320. 71 (Sq.ft.)	56,75,779/-	30'00"	10,00,000/-	2000.00	10,02,000.00	Rs 3540/-	2 % of base price	03-04-2023 11:00AM	03-04-2023 01:00PM
4	Hanumannagar Patna	PU	6/PU- K/1/703	4500 (Sqft)	1,96,28,099 /-	40'00"	30,00,000/-	2000.00	30,02,000.00	Rs 3540/-	2 % of base price	03-04-2023 02:00PM	03-04-2023 04:00PM

Secretary

Bihar State Housing Board, Patna

*For Further Details Please Visit Website <http://www.eproc2.bihar.gov.in>

(3) पंजीयन की प्रक्रिया :

1. ई-ऑक्शन के प्रक्रिया में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल (<http://www.eproc2.bihar.gov.in>) में सर्वप्रथम पंजीयन करना अनिवार्य होगा। यदि बोलीदार द्वारा पूर्व में ई-ऑक्शन में भाग लेने हेतु पंजीयन कराया जा चुका हो तो पुनः पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। सम्भावित बोलीदाताओं को नीलामी में भाग लेने हेतु एक वैध श्रेणी –III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (DSC) एवं यूजर आईडी प्राप्त करना अनिवार्य है। पंजीकरण हेतु सम्बंधित बोलीदाता के पास एक वैध ई-मेल आईडी एवं मोबाईल संख्या होना अनिवार्य है।
2. ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल (<http://www.eproc2.bihar.gov.in>) पर पंजीयन लिंक के द्वारा पंजीयन की प्रक्रिया सर्वप्रथम पूरी करनी होगी। पंजीयन पर क्लिक करने पर एक नई आन-लाइन प्रपत्र में दर्शाये गये विवरण को दर्ज करना होगा। सम्पूर्ण विवरण दर्ज करने के पश्चात आपको नियम एवं शर्तों को स्वीकार करना होगा तथा विंडो में दर्शित Captcha को दर्ज कर अपना पंजीयन करना होगा। सारे विवरण दर्ज करने के बाद सम्बंधित दस्तावेज के साथ पंजीयन शुल्क के साथ भुगतान इसी प्रक्रिया में किया जाना होगा। पंजीयन शुल्क केवल आन-लाइन माध्यम से स्वीकार किया जायेगा जो (<http://www.eproc2.bihar.gov.in>) पोर्टल के माध्यम से भुगतान करना होगा।
3. इस प्रक्रिया को पूर्ण करने पर पोर्टल के विंडो पर आपके द्वारा किया गया पंजीयन सफलतापूर्वक किया गया है, इसका संदेश प्राप्त होगा। यदि आवश्यकता हो तो सम्बंधित प्रपत्र का प्रिंट आउट भी प्राप्त कर सकते हैं तथा इसकी वैधता एक वर्ष के लिए होगी।
4. उपरोक्त प्रक्रिया के उपरांत आपको यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। इस यूजर आईडी, पासवर्ड एवं स्वयं में डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करते हुए नीलामी की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।

(4) ई-ऑक्शन की प्रक्रिया :

1. नीलामी की सूचना में दर्शित समय के पूर्व इच्छुक व्यक्ति को <https://www.eproc2.bihar.gov.in> पोर्टल में पंजीयन के समय प्राप्त यूजर आईडी एवं पासवर्ड दर्ज करके प्रविष्टि करना होगा।
2. पोर्टल में प्रविष्टि के उपरांत एक्टिविटी विंडों में क्लिक करना होगा। इस विंडों में क्लिक के उपरांत आपको ऑक्शन का चयन करना होगा।
3. अग्रधन एवं आवेदन शुल्क सफलता पूर्वक जमा करने के पश्चात् बोलीदाता बेल्ट्रॉन द्वारा प्रदान किये गये यूजर आईडी का उपयोग करते हुए लॉगिन करेंगे एवं भुगतान रसीद के साथ सभी वांछित कागजात अपलोड करेंगे। जो निम्नवत है :-
 - (क) पैन कार्ड की प्रति।
 - (ख) पिछले तीन साल का इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति।
 - (ग) आधार कार्ड की प्रति। जिन बोलीदाताओं द्वारा आधार कार्ड हेतु आवेदन दिया गया हो, वैसे बोलीदाता यूआईडीआई0ए0आई0 भारत सरकार द्वारा निर्गत पावती रसीद की प्रति भी संलग्न कर सकते हैं।
 - (घ) निर्वाचन प्रमाण पत्र/विद्युत विपत्र/लैण्ड लाईन विपत्र/ड्राईविंग लाइसेंस/बैंक पासबुक/घरेलू गैस विपत्र/आवासीय प्रमाण के रूप में संलग्न कर सकते हैं।
 - (ङ.) पासपोर्ट की प्रति (केवल एन0आर0आई0 बोलीदाताओं के लिए)।
 - (च) स्व हस्ताक्षरित घोषणा प्रपत्र (अनुलग्नक-2)।
 - (छ) दो रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो।
4. सभी वांछित कागजातों को अपलोड करने के पश्चात् बोर्ड द्वारा प्राधिकृत बोली आमंत्रण प्राधिकार द्वारा दस्तावेजों की जाँच की जायेगी। केवल वैध दस्तावेज समर्पित करने वाले बोलीदाताओं को ही ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु स्वीकृति दी जायेगी।
5. आवेशन मोड के चयन के उपरांत आपको संबंधित सम्पदा का चयन करना होगा, जिसके उपरान्त नीलामी में प्रदर्शित सम्पदाओं की सूची विंडों में दर्शित होगी।
6. प्रत्येक बोलीदाता के कम्प्यूटर के विंडों पर अन्य बोलीदाताओं की सर्वोच्च बाली ही प्रदर्शित होगी। बोलीदाता के नाम तथा पहचान पूर्णतः गोपनीय होगी।
7. किसी विशिष्ट सम्पदा के ई-नीलामी की प्रक्रिया समाप्ति समय से 03 मिनट पहले यदि किसी बोलीदाता द्वारा बोली समर्पित की जाती है तो सिस्टम द्वारा स्वतः बोली समाप्ति की अवधि को अगले 10 मिनट तक के लिए विस्तारित

कर दिया जायेगा। विस्तारित अवधि में उच्चतम बोली से अधिक बोली प्राप्त नहीं होने की स्थिति में विस्तारित अवधि के समाप्ति के पश्चात् बोली की प्रक्रिया बन्द कर दी जायेगी।

8. प्रत्येक बोली में वृद्धि मूल्य, Base Price का 2% प्रतिशत होगा। इस प्रकार एक बोलीदाता द्वारा एक बार में अधिक से अधिक पाँच बार ई-नीलामी की बोली लगाई जा सकेगी।
9. सफलतम बोलीकर्ता को स्वचलित सिस्टम द्वारा ई-मेल के माध्यम से उच्चतम बोलीकर्ता होने की सूचना दी जाएगी।
10. बोली लगाते समय सभी आईटीओ संसाधनों एवं उपकरणों के सुचारु रूप से कार्य करने संबंधी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से बोलीदाता की होगी। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या एवं इन्टरनेट विच्छेद संबंधी मामलों में बिहार राज्य आवास बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस कारण से हुई क्षति के लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होंगे।
11. सभी संभावित बोलीदाताओं से अनुरोध है कि ई-नीलामी से संबंधित सभी निर्देशों, नियम एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेना सुनिश्चित करें।
12. ई-नीलामी संबंधित विवरणी एवं नियम-शर्तों की जानकारी e-Procurement Portal <https://www.eproc2.bihar.gov.in> and www.bshb.bihar.gov.in पर जाकर डाउनलोड की जा सकती है।
13. Auction processing fee संबंधित बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा जो केवल Internet Banking/Debit Card/Credit Card/Payment Gateway <https://www.eproc2.bihar.gov.in> पोर्टल के माध्यम से प्राप्त एवं स्वीकार किया जायेगा।
14. Auction processing fees and Auction form fee non-refundable होगा। अतः इस संबंध में राशि वापसी से संबंधित किसी भी प्रकार के अनुरोध अथवा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. सभी इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि ई-नीलामी हेतु पंजीकरण कराने एवं ऑन-लाइन आवेदन करने से पूर्व नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ ले। आवेदन करने के बाद यह माना जायेगा कि बोलीदाताओं द्वारा नियम एवं शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया गया है तथा सभी नियम शर्तें उनको मान्य है। बाद में इस संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति अस्वीकारात्मक होगी।
16. ई-नीलामी से संबंधित बोर्ड द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय को बदलने अथवा भविष्य में लिये जाने वाले निर्णय का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित होगा, जिस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति पूर्णतः अस्वीकारात्मक होगी।
17. ई-नीलामी की प्रक्रिया के तहत बोलीदाताओं द्वारा यदि किसी प्रकार की अनियमितता अथवा भ्रष्ट आचरण का प्रमाण पाया जाता है तो उन्हें उच्चतम डाकवक्ता घाषित होने के बावजूद भी उनके डाक को रद्द कर जमा राशि जब्त कर लिया जायेगा।
18. इस संबंध में अन्य जानकारियाँ प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें :-

क्रम संख्या	विशय	सम्पर्क स्थान एवं दूरभाष संख्या
1.	ई-नीलामी कार्यक्रम	बिहार राज्य आवास बोर्ड, 6, सरदार पटेल मार्ग, पटना-800015, श्री नृपेन्द्र कुमार, मो0 -8709367374
2.	पंजीयन की प्रक्रिया/तकनीकी सहायता	Toll Free Number : 1800 572 6571, email ID – eproc2support@bihar.gov.in mjunction services limited RJ Complex, 2 nd Floor, Canara Bank Campus, Khajpura, Ashiyana Road, P.S. - Shastrinagar, Patna – 800014, Bihar.

सचिव।
बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना।

नीलामी निमित्त नियम एवं शर्तें

Term and conditions for Auction, by the Bihar State Housing Board (BSHB) on lease hold basis of commercial and residential-cum-commercial plots.	बिहार राज्य आवास बोर्ड के अर्न्तगत व्यवसायिक एवं आवासीय सह व्यवसायिक भूखंडों के लीज होल्ड धारित अधिकारों का बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा नीलामी के द्वारा निस्तार से संबंधित नियम व शर्तें।
I. ELIGIBILITY	I. पात्रता
1.(a) Any Individual, who is legally major and citizen of india, may purchase lease Hold rights, by bid in the auction. Joint application in the name of the spouse can also be given. Any Individual who is not a minor, may purchase lease hold rights by bid in auction in the name of his/her minor ward.	1.(क) कोई भी व्यक्ति, जो भारत का नागरिक हो आवेदन पत्र दाखिल करने की तिथि को तथा वैधिक दृष्टि से बालिग हो, संबंधित नीलामी में बोली लगाकर लीज-होल्ड अधिकार खरीद सकता है। आवेदनकर्ता अपने पति/पत्नी के नाम से संयुक्त आवेदन समर्पित कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो वैधिक दृष्टि से बालिग है अपने नाबालिग पुत्र/पुत्री के नाम से नीलामी में भाग ले सकता है।
1.(b) Public Sector Banks, Companies & Firms shall be allowed to participate in auction of commercial and residential-cum-commercial properties provided the premises is used for bonafide prescribed purpose by their staff.	1.(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, कंपनियों व फर्मों को आवासीय सह व्यवसायिक एवं व्यवसायिक संपत्तियों की नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी, बशर्त कि परिसर का उपयोग उनके स्टाफ के द्वारा विहित उद्देश्य से किया जाए।
1.(c) The Bidder/Purchaser must be domiciled in Bihar, a citizen of India or an NRI or a person of Indian Origin (P.I.Os). The permission for NRIS & PIOS shall be governed under FEMA regulation framed under notification FEMA No. 21/2000 R.B./dated May 03,2000. The person of Indian origin will mean an individual (not being a citizen of Pakistan or Bangladesh or Sri Lanka or Afghanistan or China or Iran or Nepal or Bhutan), who (i) at any time, held Indian Passport, or (ii) who or either of whose father or grandfather was a citizen of India by virtue of the Citizenship Act, 1955 (57 of 955) and he or she is competent to enter into contract. Attested copy of passport to be attached with Bid application forms by NRI/PIO to establish the identity.	1.(ग) बोलीदाता/खरीदार बिहार का मूलवासी हो, भारत का नागरिक हो या अनिवासी भारतीय (एन0आर0आई0) हो या भारतीय मूल का व्यक्ति (पी0आई0ओ0एस0) हो। अनिवासी भारतीय (एन0आर0 आई0) या भारतीय मूल के व्यक्ति (पी0आई0ओ0एस0) को इस प्रक्रिया में शामिल करने का प्रावधान एफ0ई0एम0ए0 अधिनियम के तहत अधिसूचना संख्या- एफ0ई0 एम0ए0 में 20/2000 आर0वी0 तिथि:- मई 3, 2000 के तहत अधिसूचित है। भारतीय मूल के व्यक्ति का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन, इरान, नेपाल और भूटान क नागरिक नहीं हैं। (i)वह किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट का धारक रहा है।(ii)उसके पिता या दादा भारत की नागरिकता अधिनियम 1955 (1955 का 57) के तहत भारत का नागरिक हो और वह अनुबंध करने में सक्षम हो। पहचान स्थापित करने के लिए अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति को आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।

2. No person whose bid had been accepted by the officer conducting the Auction shall be entitled to withdraw his bid. Entry into the Auction shall be restricted only to such persons who will deposit EMD amount to Bihar State Housing Board via online/offline as mentioned in Annexure - I.	2. कोई भी व्यक्ति, जिसकी बोली नीलामी संचालनकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीकार की गई है, अपनी बोली वापस लेने का हकदार नहीं होगा। नीलामी में प्रवेश केवल उन व्यक्तियों तक सीमित होगा, जो बिहार राज्य आवास बोर्ड के अनुलग्नक- 1 में वर्णित EMD की राशि Online/Offline रूप में जमा करेंगे।
3. The final auctioned property will only be transferred to the bidder firstly through the execution of Lease Deed. After that the said property can be converted into free hold.	3. अंतिम रूप से निलाम की गई सम्पदा का क्रेता के नाम से हस्तांतरण की अनुमति प्रथमतः पट्टा विलेख के निष्पादन के माध्यम से ही किया जाएगा। तदोपरान्त संबंधित सम्पदा को फ्री-होल्ड में परिवर्तन किया जा सकेगा।
4. The area of plots announced are only approximate, and the persons who bid should be prepared to accept variation in either way in the area announced, subject to increase in of cost in preparation to the amount of the accepted bid.	4. घोषित प्लॉटों का क्षेत्रफल केवल अनुमानित है और बोलीदाता वे घोषित क्षेत्रफल में कैंसी भी कमी या अधिकता स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। उनकी स्वीकृत बोली में लागत में बढ़ोतरी उसी अनुपात में समायोजित कर ली जाएगी।
II. BIDDING AT AUCTION AND SUBMISSION OF APPLICATION	II नीलामी में बोली लगाना और आवेदन पत्र जमा कराना।
1. The officer, conducting the Auction may, without assigning any reasons withdraw any plot from the Auction at any stage.	1. नीलामी संचालनकर्ता अधिकारी किसी भी प्लॉट को कोई कारण बताए बिना किसी भी चरण में नीलामी से वापस ले सकता है।
2. The bid shall be for the lease hold rights in the plot. The plot is being auctioned on "as is where is basis". It is presumed that the intending purchaser has inspected the site and has familiarized himself/ herself with the existing site conditions in all respects before offering bid. If any tree exist in any of the plot, it would be responsibility of the auction purchaser to get it removed after obtaining approval of the concerned Authorities and BSHB will not be a party for obtaining permission.	2. बोली प्लॉट में लीज-होल्ड अधिकार के लिये होगी। प्लॉट की नीलामी "जैसा है जहाँ है " के आधार पर की जाएगी। इसलिए यह मान लिया जाएगा कि इच्छुक खरीदार ने स्थल का निरीक्षण कर लिया है और बोली से पहले वे स्थल की मौजूदा स्थिति से भली-भाँति परिचित हैं। यदि किसी प्लॉट में कोई पेड़ मौजूद है तो यह नीलामी में खरीदने वाले की जिम्मेदारी है कि वह संबंधित प्राधिकरणों से अनुमति प्राप्त कर इसे हटवाए और बिहार राज्य आवास बोर्ड इसमें पक्षकार नहीं होगा।

3. (I) Auction shall be conducted only through online mode in association with Beltron, Bihar. The prospective bidder shall have to compulsorily register themselves on e-Procurement website www.eproc.bihar.gov.in of Beltron. Those bidder who are not registered on the above mentioned website, will not qualify for e-Auction.

(II) After registration, the bidders shall have to deposit the EMD and Application fee (Jointly) by online through e-payment mode i.e. NEFT/RTGS/Credit Card on the website www.eproc2.bihar.gov.in. Payment of EMD and application fee is compulsory to participate in the e-Auction. Payment of EMD and application fee should be made together. For example, for any plot to be auctioned EMD is Rs. 10,00,000/- and application fee is Rs. 2000/-, then the payment that should be made will be Rs 10,02,000/- through online.

(III) After making the payment of EMD and Application fee, the bidder should login using the credentials provided by Beltron on www.eproc2.bihar.gov.in and upload the payment receipt along with all the required documents, listed below:-

- (a) Copy of PAN card
- (b) Copy of Income Tax Return of last three years.
- (c) Copy of Aadhaar card. In case those who have applied for the aadhaar card and have not received the aadhaar number can also upload the Acknowledgement Receipt issued by UIDAI, Government of India.
- (d) Copy of Voter Id/ Electricity Bill/ Telephone Bill/ Driving License/ Bank Pass Book/ Domestic Gas Bill as proof of residence.
- (e) Copy of Passport (In case of NRI)
- (f) Self Signed Declaration form (Annexure - II)
- (g) Two recent color passport size photo

(IV) After uploading the required documents and payment receipt, the uploaded documents will be verified by the auction inviting authority of Bihar State Housing Board and only valid applicants will be permitted to participate in the e-Auction process.

3.(I) ई-नीलामी के माध्यम से सम्पदाओं का निस्तार केवल ऑन-लाईन के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अनिवार्य रूप से बेल्ट्रॉन के e-Procurement website www.eproc2.bihar.gov.in पर जाकर निबंधन कराना होगा। अन्यथा उन सभी बोलीदाताओं जिनका निबंधन नहीं हुआ है, को ई-नीलामी में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।

(II) सफल निबंधन के पश्चात् बोलीदाताओं को अग्रधन की राशि एवं आवेदन शुल्क (संयुक्त रूप से) ऑन-लाईन के माध्यम से बेल्ट्रॉन के वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in के द्वारा जमा कर सकते हैं। अग्रधन की राशि एवं आवेदन शुल्क ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु जमा करना अनिवार्य है। अग्रधन एवं आवेदन शुल्क की राशि संयुक्त रूप से एक साथ जमा करना होगा। उदाहरण स्वरूप यदि किसी सम्पदा के अग्रधन की राशि 10 लाख है एवं आवेदन शुल्क 2000.00 रुपये है, इस स्थिति में कुल भुगतान 10,02,000/- रुपये का भुगतान www.eproc2.bihar.gov.in के द्वारा जमा करना होगा।

(III) अग्रधन एवं आवेदन शुल्क सफलता पूर्वक जमा करने के पश्चात् बोलीदाता बेल्ट्रॉन द्वारा प्रदान किये गये यूजर आईडी का उपयोग करते हुए लॉगिन करेंगे एवं भुगतान रसीद के साथ सभी वांछित कागजात अपलोड करेंगे। जो निम्नवत है :-

- (क) पैन कार्ड की प्रति।
- (ख) पिछले तीन साल का इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति।
- (ग) आधार कार्ड की प्रति। जिन बोलीदाताओं द्वारा आधार कार्ड हेतु आवेदन दिया गया हो, वैसे बोलीदाता यूआईडीआई0 भारत सरकार द्वारा निर्गत पावती रसीद की प्रति भी संलग्न कर सकते हैं।
- (घ) निर्वाचन प्रमाण पत्र/ विद्युत विपत्र/ लैण्ड लाईन विपत्र/ ड्राइविंग लाइसेंस/ बैंक पासबुक/ घरेलू गैस विपत्र/ आवासीय प्रमाण के रूप में संलग्न कर सकते हैं।
- (ङ.) पासपोर्ट की प्रति (केवल एन0आर0आई0 बोलीदाताओं के लिए)।
- (च) स्व हस्ताक्षरित घोषणा प्रपत्र (अनुलग्नक-2)।
- (छ) दो रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो।

(IV) सभी वांछित कागजातों को अपलोड करने के पश्चात् बोर्ड द्वारा प्राधिकृत बोली आमंत्रण प्राधिकार द्वारा दस्तावेजों की जाँच की जायेगी। केवल वैध दस्तावेज समर्पित करने वाले बोलीदाताओं को ही ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु स्वीकृति दी जायेगी।

4. The Officer conducting the auction shall normally accept the bids, subject to confirmation by the Competent Authority, the highest bid offered at the auction and the person whose bid has been accepted shall pay after completion of auction the balance amount as mentioned in this Brouchure (adjusting the EMD within 60 Days after the submission of bid.)	4. सामान्यतः नीलामी संचालनकर्ता अधिकारी, सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्ण के बाद ही नीलामी में दी गई उच्चतम बोली स्वीकार करेगा और जिस व्यक्ति की बोली स्वीकार की गई है, वह नीलामी समाप्ति के पश्चात् बकाया राशि, जैसा कि इस पुस्तिका में वर्णित है, बोली समाप्ति के 60 दिनों के अन्दर बिहार राज्य आवास बोर्ड के पक्ष में देय –पेय ऑर्डर/ डिमांड ड्रॉफ्ट/ऑन लाईन द्वारा भुगतान कर सकेगा।
5. The Officer conducting the auction may, for reason to be recorded in writing recommend to the Competent Authority to reject any bid including the highest bid.	5. नीलामी संचालनकर्ता अधिकारी नीलामी में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ उच्चतम डाक सहित किसी भी बोली की रद्दी की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी को कर सकेगा।
6. The successful bidder shall deposit the balanced amount along with declaration form in Annexure - 2 within period of 60 days via online from Board Website or in the Bank Account of BSHB.	6. सफल बोलीदाता प्लॉट की नीलामी बंद होने के 60 दिनों के अन्दर अनुलग्नक-2 में संलग्न घोषणा-पत्र भरकर बोली की राशि बोर्ड की वेबसाइट से Online अथवा बैंक के खाते में जमाकर सकेगा।
7. If the bid not accepted, the Reserve Price will be Refunded to the bidder without any interest within 15 days. If BSHB has to withdraw the residential-cum-commercial plot from auction, then the Reserve Price deposited will be returned to the auction purchaser without any interest up-to a period of one months from the auction. Beyond one months period, BSHB will pay an simple interest of 5% for the amount lying with BSHB for each period.	7. यदि बोली स्वीकार नहीं की जाती है, तो नीलामी समाप्त होने के 15 दिनों के अन्दर सुरक्षित राशि बिना किसी ब्याज के बोलीदाता को वापस कर दी जाएगी। यदि बिहार राज्य आवास बोर्ड नीलामी से आवासीय सह व्यवसायिक प्लॉट वापस लेता है तो नीलामी खरीदार को नीलामी की तरीख से 1 महीने के अवधि तक जमा रखी गई सुरक्षित राशि एवं प्रशुल्क की राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 1 महीने के बाद बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा जमा राशि पर 5 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ का भुगतान किया जायेगा।
8. The demand-cum-allotment letter would be sent to the successful bidder immediately after the bid is accepted by the competent authority. The highest bidder is required to make payment of balance amount (adjusting the reserve Price), as demanded vide said demand letter referred to above, within 60 days from the date of issue of the demand letter by Online internet Banking/Bank Draft/RTGS/NEFT in account number-44220110000068 (IFSC Code- BKID 0004429) only in the any branch	8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा बोली को स्वीकार करने के तुरंत बाद सफल बोलीदाता को माँग-एवं-आवंटन पत्र भेजा जाएगा। उच्चतम बोलीदाता को उक्त पत्र के द्वारा माँगी बोली को शेष राशि (सुरक्षित राशि को समायोजित करके) का भुगतान माँग पत्र के जारी होने की तिथि से 60 दिनों के अन्दर Online Internet banking/बैंक ड्रॉफ्ट/भुगतान आदेश के द्वारा खाता संख्या-44220110000068,आई0एफ0एस0सी0कोड-बी0के0आई0डी0-0004429 केवल बैंक ऑफ इंडिया के किसी शाखा में करना

of Bank of India. The Competent Authority may, in his absolute discretion may extend the last date of balance payment up- to the maximum period of 90 days, beyond the last date for payment with reference to the date of issue of demand letter, subject to payment of interest on the balance amount @ 12.50% p.a where the delay exceeds 60 days.	होगा। सक्षम प्राधिकारी अपने पूर्व विशेषाधिकार के अर्न्तगत 60 दिनों से अधिक की देरी होने पर 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भारित कर अधिकतम 90 दिनों तक विस्तारित कर सकते हैं।
Note : The successful bidder may pay the cost of the plot by availing loan facility from financial institutions for which the BSHB offer NOC/mortgage permission. In case the successful bidders wish to avail loan facility for the payment of the final auction price, they can contact the Branch Manager, bank of India, Secretariat branch, Patna - 15. bank will provide all possible assistance as per eligibility in this regard. Details of which are also enclosed in Annexure - III.	टिप्पणी : सफल बोलीदाता वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधा का लाभ उठा कर प्लॉट की लागत का भुगतान कर सकता है, जिसके लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड अनापत्ति/बंधक अनुमति देती है। जिन सफल बोलीदाताओं को ऋण की आवश्यकता हो वे शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, सचिवालय शाखा, पटना-15 को सम्पर्क कर सकते हैं। इस आशय निमित्त विवरणी अनुलग्नक-3 के साथ संलग्न है।
9. Four copies of Conveyance deed along with the copy of site plan will be supplied to the highest bidder along with the demand letter to get the conveyance deed papers stamped from the Office of Collector of Stamps (treasury Office) by him/her. The Reserve Price shall stand forfeited and the auction purchaser shall not be liable to any compensation whatsoever if he/she fails to submit conveyance deed within 60 days from the date of issue of same from the office of Manager Estate, BSHB. It shall be the sole responsibility of the auction purchaser to submit the stamped conveyance deed papers along with the site plan, before issue of the possession letter. The possession of the plot will be handed over only after the submission of the above said documents in the office of Manager Estate, BSHB. After taking the possession, the successful auction purchaser is required to get the conveyance deed executed by concerned divisional executive engineer. In case the execution of conveyance deed is not completed within the period of 2 month from the date of issue of the possession letter from the office of the concern divisional executive engineer on account of any lapse	9. स्टॉप क्लैक्टर के कार्यालय से पट्टा विलेख कागजातों पर स्टॉप लगवाने के लिए उच्चतम बोलीदाता को मॉग-पत्र के साथ पट्टा विलेख की चार प्रतियाँ और साइट-प्लान की प्रति दी जाएगी जिस पर उन्हें निर्धारित राशि का स्टॉप लगाना होगा। यदि भू-सम्पदा पदाधिकारी, बिहार राज्य आवास बोर्ड कार्यालय से पट्टा विलेख निर्गत होने के 60 दिनों के अन्दर उसे प्रस्तुत करने में नीलामी क्रेता असफल रहें तो उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा और सुरक्षित राशि जब्त कर ली जाएगी। यह नीलामी क्रेता की पूर्ण जिम्मेदारी है कि वह कब्जा-पत्र जारी होने से पूर्व स्टाम्पित पट्टा पेपर और साइट-प्लान प्रस्तुत करें। भू-सम्पदा पदाधिकारी, बिहार राज्य आवास बोर्ड के कार्यालय में उक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बाद प्लॉट का कब्जा सौंपा जाएगा। कब्जा लेने के पश्चात् सफल नीलामी-क्रेता को सम्बंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा निष्पादित पट्टा विलेख प्राप्त करना अपेक्षित होगा। सम्बंधित कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य आवास बोर्ड के कार्यालय से कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से दो महीनों की अवधि के अंदर यदि नीलामी क्रेता के किसी कमी के कारण

on the part of auction purchaser, action for cancellation of allotment of plot will be taken.	पट्टा विलेख निष्पादन पूर्ण नहीं होता है, तो प्लॉट के आवंटन के रद्दीकरण की कार्यवाही की जाएगी।
10. In case the highest bidder fails to make the balance amount within the stipulated period, as mentioned in the demand letter or within such extended period, if any granted by the Manager Estate, BSHB on his written application, the bid shall automatically stand cancelled and the Reserve Price shall stand forfeited. In that eventuality, the competent authority shall be competent to re-auction the Commercial & residential-cum-Commercial plot.	10. यदि माँग पत्र में उल्लेखित निर्धारित अवधि अथवा उसके लिखित आवेदन पर भू-सम्पदा पदाधिकारी, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना द्वारा बढ़ाई गई किसी अवधि के अंदर यदि उच्चतम बोलीदाता शेष राशि का भुगतान करने में असफल रहता है, तो बोली स्वतः रद्द हो जाएगी और सुरक्षित राशि जब्त हो जाएगी। उस स्थिति में सक्षम प्राधिकारी आवासीय सह व्यवसायिक प्लॉट की पुनः नीलामी करने के लिये सक्षम होगा।
11. After making the payment of balance amount and intimating thereof, the highest bidder is required to appear before the Manager Estate in Person or through an authorized representative along with the payment copy of bank challan in support of payment of balance Amount, 5 recent passport size photographs of individual or combined, as the case may be, the conveyance deed paper duly stamped, an affidavit, an undertaking and any other document as indicated in the demand letter On submission of all documents and subject to verification of the payment made by the auction purchaser, the possession letter will be issued within 30 days and the same can also be collected in person by the auction purchaser. The possession letter so issued will carry the date on which the physical possession of the plot will be handed over on the auction purchaser at site. In case the purchaser fails to turn up at site on the date and time fixed for handing over possession the next date of possession will be fixed only on payment of Rs. 1,000/- per month for delayed period on account of penalty for not taking over the possession by the purchaser. The possession, however, must be taken within 2 months from the date fixed for the same and in case, possession is not taken 2 months, then the allotment shall stand cancelled and the Reserve Price shall stand forfeited without any notice.	11. शेष राशि का भुगतान करने के पश्चात् उसकी सूचना देते हुए उच्चतम बोलीदाता को व्यक्तिगत रूप से अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि को भू-सम्पदा पदाधिकारी, बिहार राज्य आवास बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना अपेक्षित है। उन्हें अपने साथ शेष राशि के भुगतान के प्रमाण के रूप में भुगतान/बैंक चालान की प्रति 5 नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो (व्यक्तिगत अथवा संयुक्त) विधिवत रूप से स्टाम्पयुक्त पट्टा पेपर, एक वचन बंध और माँग पत्र में निर्दिष्ट अन्य दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना है। सभी दस्तावेजों के प्रस्तुत होने और नीलामी क्रेता द्वारा किये गये भुगतान के आधार पर 30 दिनों के अन्दर कब्जा पत्र जारी किया जाएगा और जिसे नीलामी क्रेता द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है। जारी किये गये कब्जा-पत्र पर तिथि लिखी होगी, जिस पर नीलामी क्रेता को स्थल पर वास्तविक कब्जा दिया जाएगा। यदि कब्जा देने की तिथि और नियत किये गये समय पर क्रेता स्थल पर आने में असफल रहे तो क्रेता द्वारा कब्जा न लिए जाने पर पैनाल्टी के रूप में विलंबित अवधि के लिये 1,000/- रुपये प्रतिमाह के भुगतान करने पर ही कब्जा लेने की आगामी तिथि नियत की जाएगी। तथापि शेष राशि भुगतान करने की तिथि से 2 महीनों के अन्दर कब्जा ले लिया जाना चाहिए और यदि 2 महीनों में कब्जा नहीं लिया जाता है तो आवंटन रद्द हो जाएगा और बिना किसी नोटिस के सुरक्षित राशि जब्त हो जाएगी।

12. In case of default, breach or non-compliance of any of the terms and conditions of the auction or any fraud misrepresentation or concealment of facts or non-payment of balance premium within the due date by the bidder/intending purchaser, the Reserve Price shall stand forfeited.	12. नीलामी के निबंधन और शर्तों का पालन न करने, चूक करने, उल्लंघन करने के मामले में अथवा किसी धोखे अथवा तथ्यों की गलतबयानी अथवा छुपाने अथवा बोलीदाता-इच्छुक क्रेता द्वारा देय तिथि के अन्दर शेष प्रीमियम के भुगतान न करने पर सुरक्षित राशि जब्त हो जाएगी।
13. Succesfull Bidder after compelition of Auction Process can deposit the amount by way of DD/Cash/Online. In case of Online Payment Bidder can Visit the website of Bihar State Housing Board www.bshb.bihar.gov.in and Click on auction tab and pay by the Online Process.	13. सफल बोलीदाता नीलामी समाप्ति के पश्चात् नीलामी की राशि बैंक ड्रॉफ्ट/नगद/ऑन लाईन भुगतान के माध्यम से जमा कर सकते हैं। ऑन लाईन भुगतान की सुविधा बिहार राज्य आवास बोर्ड की वेबसाइट www.bshb.bihar.gov.in पर जाकर ई-ऑक्सन टेब पर क्लीक कर तथा वांछित जानकारी उपलब्ध करा कर ऑन लाईन भुगतान कर सकते हैं।
III. CONSTRUCTION ON PLOT	III. प्लॉट पर निर्माण
1. The purchaser shall have to erect and complete the Commercial and residential-cum-commercial building in accordance with the provision prescribed by BSHB and PMC, after obtaining and in accordance with the sanction of the building plan with necessary design, plan and specifications from BSHB and proper Municipal or other authorities concerned in accordance with their respective rules/ Bye-laws etc., as the case may be. The purchaser shall not start construction before the said plan etc. is fully sanctioned by the authorities aforesaid. The purchasers shall not start any activity in connection with the construction before execution and registration of conveyance deed. In this purview, as per the section 78 of Bihar State Housing Board Act 1982 approval should be taken from the Board in this regard.	1. क्रेता को प्लॉट व्यवसायिक एवं आवासीय सह व्यवसायिक भवन का निर्माण एवं समापन बिहार राज्य आवास बोर्ड एवं पटना नगर निगम, के प्रावधानों के अनुसार करना होगा। उसे यह कार्य बिहार राज्य आवास बोर्ड एवं नगर निगम या अन्य संबंधित प्राधिकरणों के संबंधित नियमों, उपविधियों आदि के अनुसार, जैसी भी स्थिति हो, आवश्यक डिजाइन, नक्शों एवं विशिष्टियों सहित भवन नक्शों की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद और उनके अनुसार करना होगा। क्रेता पूर्वोक्त प्राधिकरणों द्वारा पूरी तरह से उक्त नक्शों आदि की स्वीकृति लेने से पहले निर्माण कार्य शुरू नहीं करेगा। क्रेता पट्टा विलेख के निष्पादन और पंजीकरण से पहले निर्माण के संबंध में कोई कार्यकलाप शुरू नहीं करेगा। इस परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य आवास बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा-78 में निहित प्रावधान के आलोक में बोर्ड से अनुमति प्राप्त करना होगा।
2. The plot and building thereon shall not be used for a purpose other than that of commercial and residential-cum-commercial.	2. प्लॉट या उस पर निर्मित भवन का उपयोग व्यवसायिक एवं आवासीय सह व्यवसायिक उपयोग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

3. The allottee shall not sub-divide the plot or amalgamate with any other plot.	3. आवंटी को प्लॉट को उपविभाजित करने या किसी अन्य प्लॉट के साथ मिलाने का अधिकार नहीं होगा।
4. The purchaser will be liable to pay all rates, taxes, charges and assessment of every description in respect of the plot whether assessed, emerged or apposed on the plot or on the building constructed hereon or on the land Lord or tenant in respect, hereof.	4. क्रेता/खरीदार को प्लॉट से संबंधित सभी दरों, करों, प्रभारों और प्रत्येक तरह के निर्धारणों का भुगतान करना होगा, चाहे वे प्लॉट या उस पर निर्मित भवन पर या उसके स्वामी अथवा उससे संबंधित किराएदार पर निर्धारित किए जाने हों, उससे लिए जाने हों या उस पर लगाए जाने हों।
5. All dues payable to the BSHB in respect of the plot the building erected there on shall be recoverable as arrears of land revenue and will be first charge on property.	5. प्लॉट या उस निर्मित भवन के संबंध में बिहार राज्य आवास बोर्ड को देय सभी बकाया राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली जाएगी और संपत्ति पर प्रथम प्रभार लिया जाएगा।
6. The allottee shall have to start construction on the allotted plot/site within one year from the date of signing the lease deed and shall complete the same in respect within the next two years falling which a penalty as per rules and Guidelines laid out by BSHB shall be payable by the allottee to the BSHB for the period of delay beyond three years upto a further period of two years and in the case where the allottee still to complete the stipulated construction within a total period of five years from the date of signing the lease deed his allotment shall be cancelled and all amounts deposited by him in the Board shall stand forfeited.	6. लीज-डीड पर हस्ताक्षर करने के एक वर्ष के भीतर आवंटी को आवंटित भूखंड पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर देना होगा और इसे सम्पूर्ण रूप से अगले दो वर्षों में पूरा करना होगा। उक्त अवधि के बाद लिये अधिकतम 2 वर्षों के बोर्ड द्वारा दण्ड प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप दण्ड शुल्क के साथ अवधिविस्तार की जा सकेगी। यदि आवंटी लीज-डीड पर हस्ताक्षर करने के अगले कुल पाँच वर्षों की अवधि तक निर्माण कार्य करने में असफल होते हैं, तो उनका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और सम्पूर्ण जमा राशि बोर्ड के द्वारा जब्त कर ली जाएगी।
7. If the Conveyance of the plot is obtained by any concealment, misrepresentation, misstatement or fraud and if there is any breach of conditions of the auction the conveyance deed will be terminated instantly and the possession of the plot and the building thereon will be taken over by the BSHB and the purchaser will not be entitled to any compensation/refund.	7. यदि प्लॉट का पट्टा किसी तरह के मिथ्या विवरण मिथ्या कथन या छल-कपट से प्राप्त किया जाता है, और यदि नीलामी की शर्तों का कोई उल्लंघन किया जाता है, तो पट्टा विलेख को एकतरफा रद्द कर दिया जाएगा तथा प्लॉट और उस पर बने हुए भवन का कब्जा बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा ले लिया जाएगा तथा खरीदार किसी तरह के मुआवजे/वापसी का हकदार नहीं होगा।

IV. COST & EXPENSES	IV लागत एवं खर्च
1. The terms and conditions of the auction shall be strictly followed by the successful auction purchaser and in case of any breach of terms and conditions of the auction, conveyance deed, the allotment shall stand cancelled. The orders of the Competent Authority, BSHB in respect of the interpretation of any conditions of the auction, conveyance deed shall be final and binding and shall not be called in question, in any proceedings.	1. सफल नीलामी क्रेता द्वारा नीलामी के निबंधनों एवं शर्तों का पालन सख्ती से किया जाएगा और नीलामी या पट्टा विलेख के निबंधनों एवं शर्तों के किसी तरह के उल्लंघन के मामले में आवंटन रद्द समझा जाएगा। नीलामी पट्टा की किसी शर्त की व्याख्या के बारे में सक्षम प्राधिकार, बिहार राज्य आवास बोर्ड के आदेश अंतिम एवं बाध्यकारी होंगे और किसी कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं होगा।
2. The cost and expenses of preparation, stamping and registration of the conveyance deed and its copies and all other incidental expenses shall be paid by the allottee/purchaser. The purchaser shall also pay any other duty charges as may be levied by any other Authority.	2. पट्टा विलेख एवं उसकी प्रतियाँ तैयार करने, स्टांप लगवाने और पंजीकरण करवाने की लागत एवं खर्चों तथा सभी अन्य संबंधित खर्चों का भुगतान आवंटी /क्रेता द्वारा किया जाएगा। क्रेता को किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा वसूल किए जाने वाले किसी अन्य ड्यूटी प्रभारों का भुगतान भी कराना होगा।
3. For any other violation/breach of the terms and conditions aforesaid, the bid of the purchaser/allottee shall be liable to be cancelled and the conveyance deed if, already executed, liable to be terminated and the allottee/purchaser shall not be entitled to any compensation whatsoever, or to the return of any premium to him/her.	3. पूर्वोक्त निबंधनों एवं शर्तों के किसी अंश के उल्लंघन/भंग करने के लिए क्रेता/आवंटी की बोली रद्द कर दी जाएगी और पट्टा यदि पहले ही निष्पादित किया जा चुका हो, समाप्त कर दिया जाएगा और आवंटी/क्रेता किसी भी तरह के मुआवजे, चाहे जो भी हों या उसे किसी प्रशुल्क की वापसी का हकदार नहीं होगा।

V. LEASE PERIOD, TRANSFER ETC.	v लीज अवधि, हस्तांतरण आदि
1. Lease period will be of 90 years. The lease can be renewed on fresh terms for a further period on application from the allottee or his/her legal heir before expiry of the first lease period of 90 years. The Board shall however, have the sole discretion to accept or refuse the renewal. The Bihar State Housing Board may impose such other conditions as it may think fit and proper in the event of renewal of the lease. If on expiry of the lease period the renewal is not granted, the Bihar State Housing Board shall have the right to take khas possession of the land and premises. Lease holder can convert his/her leased property into free hold as per the rules and guidelines laid out by BSHB.	1. लीज अवधि 90 वर्षों के लिये होगी। 90 वर्षों की प्रथम लीज अवधि की समाप्ति से पहले आवंटी या उनके वैधिक उत्तराधिकारी के आवेदन पर लीज का पुनः नवीकरण नयी शर्तों के साथ किया जा सकता है। यद्यपि बोर्ड को नवीकरण स्वीकार करने या अस्वीकार करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। लीज के नवीकरण की स्थिति में बिहार राज्य आवास बोर्ड अपने विवेक से कोई शर्त लागू कर सकता है। यदि लीज अवधि की समाप्ति पर नवीकरण स्वीकृत नहीं किया जाता है, तो बिहार राज्य आवास बोर्ड जमीन और भवन के खास कब्जे का अधिकारी होगा। लीज धारक अपनी सम्पदा को बोर्ड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप फ्री-होल्ड में परिवर्तित करा सकेगा।
2. In case the allottee decides to transfer the plot to his/her legal heirs and any other person, he/she has to obtain the prior permission of the Board. The Board after getting the 50% amount of the unearned increase in the value of the land (dividend) as determined by the Board, in case of any other person other than his/ her legal heirs may enter into a tripartite lease deed.	2. यदि आवंटी अपने वैधिक उत्तराधिकारी एवं अपने वैधिक उत्तराधिकारी के अलावे किसी अन्य को भूखंड हस्तांतरण करने का निर्णय लेते हैं, तो उन्हें बोर्ड की पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। वैधिक उत्तराधिकारी के अलावा अन्य व्यक्ति को भूखंड हस्तांतरण करने की स्थिति में बोर्ड 50 प्रतिशत लाभांश की राशि लेने के बाद त्रिपक्षीय लीज-डीड निष्पादित करेगा।
3. The allottee shall be entitled to sublet the commercial building spaces for shops, offices, godowns etc. on rent to any individual or institution or body corporate. If the allottee puts the allotted land to any use/purpose other than what stipulated hereto for his/her allotment shall be cancelled and the entire amount deposited by him shall stand forfeited.	3. आवंटी व्यावसायिक भवन की जगह को दुकान, कार्यालय, गोदाम आदि के रूप में किसी व्यक्ति, संस्था या बॉडी कॉर्पोरेट को किराये पर दे सकते हैं। यदि आवंटी आवंटित भूखंड को यहाँ वर्णित उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिये इस्तेमाल करते हैं, तो उनका आवंटन रद्द समझा जाएगा और उनके द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जाएगी।

4. The allottee shall have to pay ground rent at the rate of rupees 1000 (one thousand only) annually to the board. The ground rent for the initial year shall be paid before execution of this lease deed, and for every subsequent year the ground rent shall be payable by the end of the first month (i.e. January) of the year failing which penal interest at the rate of 26% shall be charged for the period of the default.	4. आंवटी को प्रति वर्ष 1000/- (एक हजार) रुपये ग्राउंड रेंट के मद में बोर्ड को भुगतान करना होगा। प्रारम्भिक वर्ष में ग्राउंड रेंट का भुगतान लीज-डीड सम्पादित करने के पहले करना होगा। बाद के वर्षों में ग्राउंड रेंट का भुगतान प्रतिवर्ष साल के पहले महीने (अर्थात् जनवरी) के अंत तक कर देना होगा। ऐसा नहीं करने पर 26 प्रतिशत की दर से पिनल इंटरेस्ट के साथ भुगतान करना होगा।
5. The allottee shall permit the officers and staff of the Board having jurisdiction over the area concerned to enter up-on the premises/land and inspect the same from time to time to ensure strict adherence to the terms and conditions. Violation of any terms and conditions by the allottee shall entail the cancellation of the allotment/lease deed and for feature of entire deposited amount and the premises.	5. नियमों और शर्तों के कठोर पालन को सुनिश्चित करने के लिये बोर्ड के प्राधिकार वाले क्षेत्रों में उनके अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित भूखंड/भवन में प्रवेश की अनुमति आंवटी द्वारा दी जाएगी। किसी भी नियम या शर्त की आंवटी द्वारा अवमानना की स्थिति में आंवटन/लीज-डीड रद्द समझा जाएगा और सम्पूर्ण जमा राशि तथा भवन जब्त किये जाएंगे।
6. In case of any dispute on matters not specifically stipulated hereto for the matter shall be referred to the Managing Director of the Board for arbitration and his decision in this regard shall be final, conclusive and binding on the allottee or his/her legal heir and it shall not be questioned in any Court of Law.	6. ऐसे मामले जो यहाँ विशिष्ट रूप से वर्णित नहीं हैं, वैसे मामलों में विवाद की स्थिति में बोर्ड के प्रबंध निदेशक को मध्यस्थता संदर्भ किया जाएगा और इस मामले में उनका निर्णय अन्तिम, सम्पूर्ण और आंवटी या उसके वैधिक उत्तराधिकारी पर बाध्यकारी होगा तथा इसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
7. If there is any discrepancy/contradiction in translation from English to Hindi, the language used in English version will hold good.	7. यदि अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करने पर किसी प्रकार की विसंगति/विरोधाभास हो तो अंग्रेजी संस्करण में प्रयुक्त भाषा को ही मान्यता दी जाएगी।
8. Any change in the name of the intending bidder shall not be allowed in any circumstances.	8. इच्छुक बोलीदाता के नाम में परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
9. In case of farzidar/benami/fictitious bidder, the amount deposited as earnest money shall be forfeited without assigning any reason what so ever and his bid and application shall stand rejected.	9. फर्जीदार/बेनामी/काल्पनिक/बोलीदाता के मामले में जमा की गई अग्रधन की राशि को बिना किसी कारण का उल्लेख किए जब्त कर लिया जाएगा एवं उनके बोली तथा आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा।

10. The auction will be held separately for each plot/ site.	10. सभी भूखण्डों के लिए अलग-अलग नीलामी की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी।
11. The auction will be conducted by the person authorized by the Managing Director, Bihar State Housing Board, and Patna.	11. नीलामी की प्रक्रिया प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा संचालित की जाएगी।
12. Date of auction will be separately advertised through website <u>www.bshb.bihar.gov.in</u> as well as in the leading newspapers of Bihar.	12. नीलामी की तिथि वेबसाइट www.bshb.bihar.gov.in . तथा बिहार के प्रमुख सामाचार पत्रों के माध्यम से अलग से विज्ञापित की जाएगी।
13. All notices shall be served to the allottee/bidder on the address given in the application form. In case of any change of address the allottee/bidder shall be required to give intimation thereof to the concerned officer in writing through registered post.	13. सभी नोटिस आवंटी या बोलीकर्ता के आवेदन पत्र में दिये गये पते पर भेजी जाएगी। यदि पते में कोई परिवर्तन होता है, तो इसकी सूचना निबंधित डाक से लिखित रूप में आवंटी/बोलीकर्ता द्वारा संबंधित अधिकारी को दी जानी चाहिए।

**** In above mentioned para, competent authority is assumed as manger estate.**

ANNEXURE-2**DECLARATION**

Date: _____

To,
 Bihar State Housing Board,
 06, Sardar Patel Marg, Patna - 800015

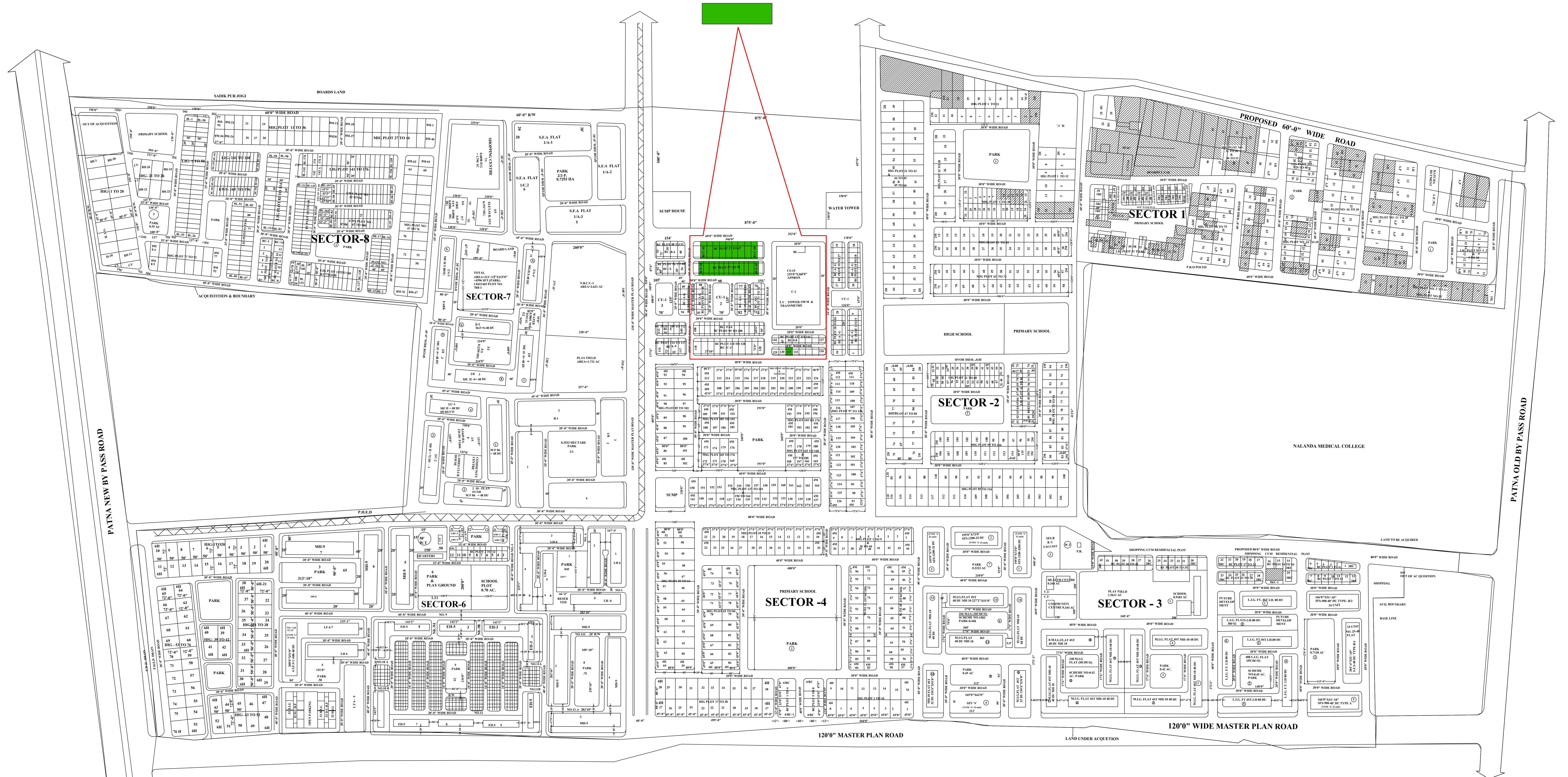
1. I/We, the Bidder/s aforesaid do hereby state that, I/We have read the entire terms and conditions of the sale understood them fully. I/We, hereby unconditionally agree to conform with and to be bound by the said terms and conditions and agree to take part in the Online Auction.
2. I/We declare that the EMD and other deposit towards purchase-price were made by me/us as against my/our bid and that the particulars of remittance given by me/us in the bid form are true and correct.
3. I/We further declare that the information revealed by me/us in the bid document is true and correct to the best of my/our belief. I/We understand and agree that if any of the statement/information revealed by me/us is found to be incorrect and/or untrue, the bid submitted by me/us is liable to be cancelled and in such case, the EMD paid by me/us is liable to be forfeited.
4. I/We also agree that after my/our offer given in my/our bid for purchase of the assets is accepted and I/We fail to accept or act upon the terms and conditions of the sale or am/are not able to complete the transaction within the time limit specified for any reason whatsoever and/or fail to fulfil any/all the terms and conditions of the bid and offer letter, the EMD and any other amount paid by me/us along with the bid and thereafter, are liable to be forfeited.
5. I/We also understand that the EMD of all Bidders shall be retained by the BSHB and returned only after the successful conclusion of the sale of the assets, in case i/we fail to qualify as highest bidder. I/we state that I/We have fully understood the terms and conditions therein and agree to be bound by the same.
6. The decision taken by the Authorized Officer in all respects shall be binding on me/us.
7. I also undertake to abide by the additional conditions, if any, announced during the auction including the announcement of correcting and/or additions or deletions of times being offered for sale.

Signature:.....

Name:.....

Address:.....

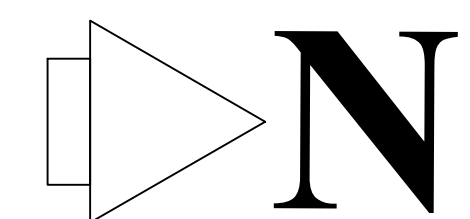
RC PLOT FOR AUCTION



LEGEND

1. AUCTION PLOT = 

SITE PLAN OF BAHADURPUR HOUSING COLONY,
BIHAR STATE HOUSING BOARD, PATNA





BIHAR STATE HOUSING BOARD

(Government of Bihar Undertaking)

6, SARDAR PATEL MARG, PATNA - 800015,

Landline: 0612 - 2217618, 0612 - 2217617, Email id: it@bshb.in



Important Notice for Bidder regarding E-Auction

(Through e-Procurement mode over <http://www.eproc2.bihar.gov.in>)

Ref No

E-auction Advertisement No. 03/2023

Bihar State Housing Board (BSHB) is a statutory authority regulated by Bihar State Housing Board act 1982 under the aegis of Urban Development and Housing Department, Government of Bihar. BSHB is mandated with the development of various housing schemes & related infrastructural facilities in the State.

BSHB has decided to dispose its commercial and residential-cum-commercial plots via E-Auction Method. Therefore, E-Auction is being introduced in "Bihar State Housing Board" for making the auction process more efficient and transparent in association with BELTRON, Bihar. The following are details regarding e-auction:-

Sl No.	Information	Details
1	Name of the Assignment	Disposal of residential cum commercial plot situated at Bahadurpur & Commercial plot at Hanumannagar, Patna through online auction mode.
2	E-auction Processing Fee/Cost (Non- Refundable)	INR 3540/- (Inclusive of GST) Payable online through e-payment mode i.e. NEFT/RTGS/Credit Card on following website: http://www.eproc2.bihar.gov.in
3	E-auction Fee/Cost (Non - Refundable)	Rs 2000/-
4	Date of Issue of Notice Inviting E-auction	From date of Publication
5	Date of Training	15-02-2023
6	Period of submission of necessary documents.	22-02-2023 to 20.03.2023 (3:00 PM)
7	Date of scrutiny of documents submitted by registered applicants.	20-03-2023 (4:00 PM)
8	E-auction schedule	As per Column Number 13 & 14 of Table 2
9	Contact person for queries	Sri Nripendra Kumar, Mob.No. - 8709367374

- Detailed descriptions of the item and instruction for submitting offer can be downloaded from e-tender website (<http://www.eproc2.bihar.gov.in>).
- For support related to e-tendering process, bidders may contact at "eproc 2.0 Help Desk Address : mjunction services limited RJ Complex, 2nd Floor, Canara Bank Campus, Khajpura, Ashiyana Road, P.S. - Shastrinagar, Patna - 800014, Bihar. Toll Free Number : 1800 572 6571 or <http://www.eproc2.bihar.gov.in>
- Bidder should be registered on e-Procurement Portal (<http://www.eproc2.bihar.gov.in>) and have the Class III Digital Signature Certificate (DSC) with signing + Encryption and User-id of the e-Procurement website (<http://www.eproc2.bihar.gov.in>) before participating in the e-Tendering process.
- The Managing Director, Bihar State Housing Board reserves the right to reject or cancel the tender or any part thereof without assigning any reasons.
- Corrigendum/Addendum, if any, will be published on the website of the Board www.bshb.bihar.gov.in and e-Procurement, Bihar (<http://www.eproc2.bihar.gov.in>)

(2) Auction Details

Sr. No.	Location (Sector/Phase Wise)	Type of Property	Property No. (Auction Sub Item)	Area (Sq.ft.)	Proposed Base Price in Rs.	Width of Road	Bid Security Deposit in Rs (Earnest Money Deposit) Only, NEFT/RTGS Mode)	Application Fee in Rs (Auction Form Fee)	Total Amount Payable through Online/ Offline before E-Auction (B+G) in Rs.	Auction Processing Fee (To be paid only online on http://www.eproc2.bihar.gov.in) in Rs	Minimum Bid Increment Value in Rs.	E-Auction schedule (Proposed)	
												Start	End
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Bahadurpur, Patna	FC	RCC/41	2003.76 (Sq.ft.)	95,01,300/-	60'00"	10,00,000/-	2000.00	10,02,000.00	Rs 3540/-	2 % of base price	27-03-2023 11:00AM	27-03-2023 01:00PM
2	Bahadurpur Patna	FC	RCC/39	2003.76 (Sq.ft.)	95,01,300/-	60'00"	10,00,000/-	2000.00	10,02,000.00	Rs 3540/-	2 % of base price	27-03-2023 02:00PM	27-03-2023 04:00PM
3	Bahadurpur Patna	FC	RCF/58	1320.71 (Sq.ft.)	56,75,779/-	30'00"	10,00,000/-	2000.00	10,02,000.00	Rs 3540/-	2 % of base price	03-04-2023 11:00AM	03-04-2023 01:00PM
4	Hanumannagar Patna	FJ	6/PU-K/1/703	4500 (Sqft)	1,96,28,099/-	40'00"	30,00,000/-	2000.00	30,02,000.00	Rs 3540/-	2 % of base price	03-04-2023 02:00PM	03-04-2023 04:00PM

*For Further Details Please Visit Website <http://www.eproc2.bihar.gov.in>
For further details please visit website www.state.bihar.gov.in/prdbihar

PR. No. 14942 (NI.NI) 2022-23

Secretary
Bihar State Housing Board, Patna

वित्त में शराब का व्यापार, बिजली एवं सोहन अथवा हाइड्रो से संबंधित शिकायत इस नंबर पर दर्ज कराये, आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी।
टोल फ्री नं- 15545 या 1800 345 6268